



ISO 9001 : 2008

NATIONAL SAFAI KARAMCHARIS FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking under the Ministry of Social Justice & Empowerment)
 NTSC, 3rd Floor, E-Block, NSIC, Okhla Industrial Estate Phase-III, New Delhi-110020
 Telephone No. 011-26382476, 26382477, 26382478 Fax: 26382479,
 E-mail: nskfdc-msje@nic.in Website: www.nskfdc.nic.in



SCHEMES IMPLEMENTED THROUGH CAs

Safai Karamcharis (Including waste pickers), Manual Scavengers and their dependants are eligible for availing benefits or various loan schemes of NSKFDC are implemented through State Channelizing Agencies (SCAs), Regional Rural Banks and Nationalised Banks viz. Indian Overseas Bank and skill development training programme implemented through govt sector training institutes and Sector Skill Councils.

LOAN SCHEMES

Sl. No.	Name of the scheme	Maximum Limit	Rate of interest to		Repayment period
			CAs	Benefic-iaries	
1	Mahila Samridhi Yojana (MSY)	Upto Rs. 1.00 lac	1% p.a.	4% p.a.	3 years*
2	Mahila Adhikarita Yojana (MAY)	Upto Rs. 2.00 lac	2% p.a.	5% p.a.	5 years*
3	Micro Credit Finance (MCF)	Upto Rs. 1.00 lac	2% p.a.	5% p.a.	3 years*
4	General Term Loan (GTL)	Upto Rs. 15.00 lacs	3% p.a.	6% p.a.	10 years*
5	Education loan (EL) -For study in India -For study abroad [The interest on Education Loan (for study in India) is reimbursable under the scheme of the Ministry of Human Resource Development (HRD) Govt. of India to the beneficiaries whose family annual income is upto 4.50 lac per annum]	Upto Rs. 10.00 lacs Upto Rs.20.00 lacs	1% p.a.	4% p.a.#	5 years after co-termination of course with moratorium period of one year.
6	Swachhta Udyami Yojana (SUY) - "Swachhta se Sampannta Ki Aur"				
a)	Scheme for "Pay and use" community toilets	Upto Rs.25.00 lacs	2% @ p.a.	4%@ p.a.	10years**
b)	Scheme for procurement of sanitation related vehicles	Upto Rs.50.00 lacs (Individual/SHG/JRG/Cooperative)	2% @ p.a.	4%@ p.a.	10years**
		Upto Rs.50.00 lacs (Municipal Corporation/Jal Boards, Public Health & Engineering Departments, Cantonment Boards etc.)	NA	4%@ p.a.^	10 years****
7	Sanitary Mart (SM)	Upto Rs. 15.00 lacs	2% p.a.	4%@p.a.	10 years*
8	Green Business (GB)	Upto Rs.2.00 lacs	2% p.a.	4%p.a.@@	6 years***
9	Skill Development Training	NSKFDC provides Employment linked Skill Development Training to its target group in various courses wherever required alongwith provision of stipend @ Rs. 1500/- per month per person in case of Safai Karamcharis/dependants and @ Rs. 3000 per month per person in case of Manual Scavenger/dependant during the training period			

#0.5% rebate for female beneficiaries.

^ 1% rebate for timely repayment.

*After implementation period of 120 days and moratorium of 180 days

** After implementation period of 180 days and moratorium of 180 days

*** Including a moratorium period of 180 days

**** After implementation period of 90 days and moratorium of 90 days

@1% rebate for women beneficiaries and 0.5% rebate for timely repayment.

@@ 1% rebate for women beneficiaries

REVISED SELF EMPLOYMENT SCHEME OF REHABILITATION OF MANUAL SCAVENGERS (SRMS)

Eligibility: Manual Scavengers identified during the survey conducted in States/UTs as per MS Act-2013

- 1) One Time cash assistance of Rs. 40,000/- (one persons in a family)
- 2) Capital Subsidy for beneficiaries from the category of Manual Scavengers.

Capital subsidy for Manual Scavengers upto Rs. 3.25 lacs for Self Employment projects upto Rs. 10 lacs (Rs. 15 lacs in case of sanitation related projects) as per below slabs:-

Upto project cost of Rs. 2 lacs	:	50% of the project cost
Between Rs.2 lac to Rs. 5 lacs	:	Rs. 1 lac and 33.3% of the Project cost between Rs. 2-5 lacs
Between Rs.5 lac to Rs. 10 lacs	:	Rs. 2 lac and 25% of the Project cost between Rs. 5-10 lacs
Between Rs. 10 lac to Rs. 15 lacs	:	Rs. 3.25 lacs



For more details kindly visit website of NSKFDC i.e. nskfdc.nic.in



ISO 9001 : 2008

नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डवेलपमेंट कारपोरेशन



(सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
एनटीएससी, तीसरा तल, ई-ब्लाक, एनएसआईसी, ओखला इंडस्ट्रीयल फेज-3, नई दिल्ली-110020
दूरभाष: 011-26382476, 26382477, 26382478 फैक्स 26382479

माध्यम अभिकरणों के द्वारा संचालित योजनाएँ

सफाई कर्मचारी, (कूड़ा बीनने वालो सहित) स्वच्छकार एवं उनके आश्रित एनएसकेएफडीसी की योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं। इन योजनाओं का संचालन राज्य माध्यम अभिकरणों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंको एवम् कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सरकारी क्षेत्र की प्रशिक्षण संस्थानों तथा सेक्टर स्किल काउन्सिल के माध्यम से हो रहा है।

योजनाओं पर एक दृष्टि

क्र.सं.	सोजना का नाम	अधिकतम सीमा	ब्याज दर		पुर्नभुगतान अवधि
			माध्यम भिकरणों को	लाभार्थ को	
1	महिला समृद्धि योजना	रु.100000/- तक	1%	4%	3 वर्ष*
2	महिला अधिकारिता योजना	रु.200000/- तक	2%	5%	5 वर्ष*
3	लघु ऋण योजना	रु.100000/- तक	2%	5%	3 वर्ष*
4	मियादी ऋण योजना	रु.15.00 लाख तक	3%	6%	10 वर्ष*
5	शिक्षा ऋण भारत में अध्ययन के लिए (जिन परिवारों वार्षिक आय रु.4.50 लाख तक है उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत शिक्षा ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी) विदेश में अध्ययन के लिए	रु.10.00 लाख तक रु.20.00 लाख तक	1%	4%	एक वर्ष की अधिस्थान अवधि और कोर्स के सह समाप्ति के 5 साल बाद। कोर्स समाप्त होने एवं 1
6	स्वच्छता उधमी योजना - "स्वच्छता से सम्पन्नता की ओर"				
क)	भुगतान एवं उपयोग पर आधारित समुदाय शौचालयों के योजना	रु.25.00 लाख तक	2% प्रतिवर्ष @	4% प्रतिवर्ष @	10 वर्ष**
ख)	स्वच्छता संबंधी वाहनों को खरीद हेतु योजना	रु. 50.00 लाख तक व्यक्ति / (स्वय सहायता समूह/संयुक्त सहायता समूह/स्वच्छता कर्मियों के लिए सहकारी समूह)	2% प्रतिवर्ष @	4% प्रतिवर्ष @	10 वर्ष**
		रु.50.00 लाख तक (नगर निगम/जल बोर्ड/पी.एच.ई.डी./केन्टेमेंट बोर्ड इत्यादि।		4%@ प्रतिवर्ष	10 वर्ष****
7	सैनेट्री मार्ट योजना	रु.15.00 लाख तक	2% प्रतिवर्ष	4% प्रतिवर्ष @	10 वर्ष*
8	हरित व्यवसाय योजना	रु.2.00 लाख तक	2% प्रतिवर्ष	4% प्रतिवर्ष @@	6 वर्ष****
9	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएसकेएफडीसी विभिन्न कोर्सों में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान करता है तथा प्रतिशिक्षण के दौरान सफाई कर्मचारी/आश्रित को राशि रु. 1500/-प्रतिमाह तथा मैनुअल स्केवेंजर/आश्रित को रु.3,000/- प्रतिमाह वजीफा भी दिया जाता है।			

#0.5 प्रतिशत की छूट महिलाओं के लिए

^ समय पर पुर्नभुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट

* 120 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 180 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत

** 180 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 180 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत

*** 180 दिन की स्थगन अवधि सहित

**** 90 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 90 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत

@ समय पर पुर्नभुगतान करने पर 0.5 प्रतिशत की छूट महिला लाभार्थियों को 1 प्रतिशत की छूट

@@ महिला लाभार्थियों को 1 प्रतिशत की छूट

संशोधित मैनुअल स्कैवेजरो के पुर्नवास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस):

योग्यता : एम.एस. अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित हाथ से उठाने वाले कर्मी और उनके आश्रित

एक मुश्त नकद सहायता : रु.40,000/- (एक परिवार के एक सदस्य को)

ऋण सीमा : राशि रु.10.00 लाख (स्वच्छता संबंधित परियोजनाओं के संदर्भ रु.15.00) लाख तक।

स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत अनुदान का स्तर/सीमा इस प्रकार है:-

पूंजीगत अनुदान	: (क) रु.2.00 लाख तक की परियोजना पर	-	परियोजना लागत का 50%
	: (ख) रु.2.00 लाख से 5 लाख तक की परियोजना पर	-	रु.1.00 लाख एवं परियोजना लागत का 33%
	: (ग) रु.5.00 लाख से रु.10.00 लाख तक की परियोजना पर	-	रु.2.00 लाख एवं परियोजना लागत का 25%
	: (घ) रु.10.00 लाख से रु.15.00 लाख तक की परियोजना पर	-	अधिकतम रु.3.25 लाख



अधिक जानकारी के लिए एन.एस.के.एफ.डी.सी. की वेबसाईट nskfdc.nic.in